संख्या- /2017/ /पॉच-6-2016-37(बजट)/12

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मण्डल मुख्यालय बरेली में 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु रू0-7250.66 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं रू0-1500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11113/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 19.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-276/पांच-6-2013-37(बजट)/12 दिनांक 08.03.2013 व शासनादेश संख्या-352/2016/3025/पॉच-6-16-37(बजट)/12, दिनांक 20.12.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.03.2013 द्वारा मण्डल मुख्यालय बरेली में 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-4306.41 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक दिनांक 02.06.16 में उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-7250.66 लाख की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी।

2- अतएव व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के अनुसार मण्डल मुख्यालय बरेली में 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-7250.66 लाख (रूपया बहत्तर करोड़ पचास लाख छाछठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं रू0-1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-276/पांच-6-2013-37(बजट)/12 दिनांक 08.03.2013 व शासनादेश संख्या-352/2016/3025/पॉच-6-16-37(बजट)/12, दिनांक 20.12.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0सेट, लिफट, ट्रान्सफार्मर, माडुलर ओ0टी0, ई0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम, एयर कन्डीशनिंग सिस्टम, एल0टी0पैनल, हाईमास्ट लाइट, एच0टी0 पैनल, सीवरेज ट्रीटमेन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्लान्ट का प्राविधान कोटेशन/बाजार दरों पर किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफॅ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाए।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(8) उक्त प्रायोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(9) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10)प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11)प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी।

(12)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(13)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(14)कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(15)आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि शर्म विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(17)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(18)कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(19)आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-06-मण्डल मुख्यालय पर 300 शैयया संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-109/दस-17 दिनांक 25 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 53 /2017/ 3070 (1)/पाँच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, बरेली ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14-विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।